

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञापित

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापन संख्या-06/2025, 07/2025, 08/2025, 14/2025 एवं 18/2025 के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (क्रमशः मूर्च्छक, चर्म रोग, ई०एन०टी०, शिशु रोग एवं रेडियोलॉजी) के मूल कोटि के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सफल अभ्यर्थियों (चिकित्सको) की अनुशंसा प्राप्त हुई है। इस प्रेस विज्ञापित के माध्यम से सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों (चिकित्सको) को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक-18.09.2025 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना के परिसर में सभी मूल प्रमाण पत्रों, शपथ पत्र, फोटोग्राफ, सत्यापन प्रपत्र (पूर्णरूप से भरा हुआ) एवं पदस्थापन हेतु प्रपत्र-1 में पाँच विकल्पों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

2. Counselling हेतु वांछित प्रमाण पत्रों, शपथ पत्र की प्रति, सत्यापन प्रपत्र की प्रति, विकल्प संबंधी प्रपत्र की प्रति एवं प्रमाण पत्रों के जाँच हेतु निर्धारित कार्यक्रम की विवरणी विभागीय वेब-साईट <https://state.bihar.gov.in/health> के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।

1617(2)
11/09/2025

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

सत्यापन प्रपत्र

चेतावनी

अद्यतन पासपोर्ट
साईज का फोटो

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छिपाए जाने को अयोग्यता माना जायगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है ।
2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किये जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थ दण्ड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी के भेजी जाय, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जायगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।

1. उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा, उपनाम में अंशतः जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें)

पूरा नाम –

उपनाम—

अनुक्रमांक—

2. वर्तमान पता अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं० गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर—

3. स्थायी पता—

(क) घर का पूरा पता अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं० गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर और जिला मुख्यालय का नाम—

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने का तारीख का उल्लेख करें।

4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें, (आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।

5. (क)

से	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात गाँव थाना तथा जिला अथवा मकान नं० गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कॉलम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5. (ख)

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय(यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थायी पता
1	2	3	4	5	6
(ख) पिता (उपनामों सहित यदि कोई हो) (ख) माँ (ग) पत्नी/पति (घ) भाई (ङ) बहन/बहनें					

6. उस पुत्र/पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं:-

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कॉलम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं।
1	2	3	4	5

7. राष्ट्रीयता

(क) जन्म तिथि -

(ख) वर्तमान आयु -

(ग) मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र में दी गई आयु -

8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान -

(ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं -

(ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं -

9. (क) आपका धर्म-

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं? जिससे सम्बद्ध हों उसका नाम लिखें –

10. 15वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें ।

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन-सी परीक्षा पास की

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध-सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं? यदि हाँ तो सेवा की तारीख सहित पूर्ण व्योरा दें—

अवधि से तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण

(ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी ?

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या नोटिस दिये जाने अथवा सेवा समाप्त किये जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया ।

12. (i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ? हाँ/नहीं

(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ? हाँ/नहीं

(ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है ? हाँ/नहीं

(घ) क्या कभी आपको नजरबंद किया गया है ? हाँ/नहीं

(ङ.) क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थ दण्ड डाला है? हाँ/नहीं

- (च) क्या कभी किसी विधि न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है ? हाँ/नहीं
- (छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है ? हाँ/नहीं
- (ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने अपने किसी परीक्षा/चयन से आपको बहिष्कृत/अयोग्य घोषित किया है? हाँ/नहीं
- (झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है ? हाँ/नहीं
- (ञ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ? हाँ/नहीं
- (ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया/बहिष्कृत किया गया/निकाला गया? हाँ/नहीं

(ii) यदि यह प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उस मुकदमे/गिरफ्तारी/हिरासत/अर्थ दण्ड/दण्डादेश/सजा आदि के बारे में और/अथवा किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमें की प्रकृति के पूर्ण व्योरे दें ।

(iii) नोट-(1) कृपया इस प्रपत्र के प्रारम्भ में लिखित चेतावनी को भी देखें ।

(2) प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर "हाँ" अथवा "नहीं" जैसा भी मामला हो, काट दिया जाय ।

13. अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों-

(1)

(2)

14. मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पति है । मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण

है। मैं किन्ही ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना/मानी जाऊँ ।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

नाम—

अनुक्रमांक—

जाँच-पत्र

पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकाएँ

1.	अभ्यर्थी का नाम	—	
2.	विज्ञापन संख्या एवं रजिस्ट्रेशन नं०	—	
3.	क्रमांक	—	
4.	पिता/पति का नाम	—	
5.	जन्म तिथि	—	
6.	आरक्षण कोटि/चयनित आरक्षण कोटि	—	
7.	मोबाईल नं०	—	
8.	ई-मेल आई०डी०	—	
9.	उच्चतर योग्यता (यदि कोई हो)	—	
10.	स्थायी पता	—	
11.	पत्राचार पता	—	
12.	आधार संख्या (छायाप्रति संलग्न करें)।	—	
13.	यदि अभ्यर्थी नियमित/संविदा पर बिहार स्वास्थ्य सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत हैं तो पदस्थापन संबंधी विवरणी (साक्ष्य की प्रति भी संलग्न करें)।	—	
14.	यदि अभ्यर्थी के पति/पत्नी बिहार बिहार स्वास्थ्य सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के अन्तर्गत नियमित/संविदा पर कार्यरत हैं तो तत्संबंधी विवरणी (साक्ष्य की प्रति भी संलग्न करें)।	—	

15	संलग्न कागजातों की सूची (संलग्न कागजात को ☒ करें अन्यथा ☐ करें) 1. मैट्रिक का मूल प्रमाण-पत्र ☐ 2. जन्म तिथि का मूल प्रमाण-पत्र ☐ 3. इन्टर का मूल प्रमाण-पत्र ☐ 4. एम०बी०बी०एस० का मूल प्रमाण-पत्र ☐ 5. स्नातकोत्तर (डिग्री/डिप्लोमा) का मूल प्रमाण-पत्र ☐ 6. बिहार मेडिकल रजिस्ट्रेशन कौंसिल का निबंधन प्रमाण-पत्र ☐ 7. आवासीय प्रमाण-पत्र ☐ 8. जाति प्रमाण-पत्र ☐ 9. क्रिमीलेयर संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो, तो) ☐ 10. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र (जो आयोग में Counselling के समय प्रस्तुत किया गया हो)। ☐ 11. सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा निर्गत स्वास्थ्य जाँच प्रमाण-पत्र ☐ 12. तीन फोटो (स्व-अभिप्रमाणित) ☐ 13. पूर्णरूप से भरा हुआ सत्यापन प्रपत्र (एक मूलप्रति एवं एक छायाप्रति) ☐ 14. शपथ पत्र (अनुमंडलीय पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत)। ☐ 15. बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा जारी Counselling हेतु प्राप्ति रसीद ☐ नोट:-उक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण-पत्रों के साथ ही मूल प्रमाण-पत्रों की स्व० अभिप्रमाणित छायाप्रति (दो सेट में) लाना सुनिश्चित किया जाय। Counselling में जाँच के पश्चात् मूल प्रमाण पत्रों को जाँच पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को वापस कर दिया जायेगा।
16	अभ्युक्ति

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर :-

नाम:-

विज्ञापन सं०-

रजिस्ट्रेशन नं०-



पदस्थापन हेतु विकल्प

1. नाम —
2. विज्ञापन संख्या—
2. कोटि —
3. रजिस्ट्रेशन नं०—
4. गृह जिला—
5. नियमित/संविदा/टेन्योर पर वर्तमान में
कार्यरत जिला/संस्थान का नाम —
(साक्ष्य की प्रति संलग्न करें)
6. पदस्थापन हेतु पाँच विकल्प (जिला का नाम) (गृह जिला को
छोड़कर)
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ.)
7. पदस्थापन का सर्वाधिकार विभाग को है एवं विकल्प के
अनुसार पदस्थापन नहीं होने पर किसी प्रकार का दावा
किसी स्तर/प्राधिकार या न्यायालय में नहीं किया जायेगा।
10. अभियुक्ति —

हस्ताक्षर

तिथि



शपथ-पत्र

समक्ष.....

मैं, डा०वल्द.....

स्थायी पता

.....पिन कोड.....

पत्राचार का पता

.....पिन कोड.....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि मैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हूँ एवं नियुक्ति हेतु सहमति व्यक्त करता/करती हूँ ।
2. यह कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के उपरान्त बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के आलोक में प्राईवेट व्यापार या नियोजन नहीं करेंगे ।
3. यह कि प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि से कम से कम देहाती क्षेत्र में 03(तीन) वर्षों की लगातार सेवा अनिवार्य रूप से देने हेतु तत्पर हूँ ।
4. यह कि दहेज नहीं लेने एवं दहेज नहीं देने की घोषणा करता/करती हूँ ।
5. यह कि गैर व्यवसायिक भत्ता की मांग नहीं करूँगा/करूँगी ।
6. पदस्थापन हेतु विकल्प के अनुसार पदस्थापन का सर्वाधिकार विभाग को है एवं विकल्प के अनुसार पदस्थापन नहीं होने का दावा किसी स्तर/प्राधिकार या न्यायालय में नहीं करूँगा/करूँगी ।
7. यह कि उपरोक्त शपथ पत्र में अंकित सभी घोषणाएँ बिल्कुल सत्य हैं ।

शपथ कर्ता का हस्ताक्षर